न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 109/2018 राजस्व अपील

1. गुलाब पुत्र हरफुल जाति मीना निवासी कालाखो तह. सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.08.2018 बउनवानी प्रकरण सरकार बनाम गुलाब नम्बर मुकदमा 170/2018 न्यायालय नायब तहसीलदार उपतहसील बहरावण्डा जिला दौसा

उपस्थिति : श्री शिवचरण शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक: 18.01.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ग्राम कालाखो द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट नें संवत 2075 में ग्राम कालाखो में स्थिति आराजी भूमि खसरा नं0. 28 रकबा 0.25 है0 मे से 0.10 है0 व खसरा नं. 29 रकबा 0.25 है0 मे से 0.10 है0 कुल 0.20 है0 किस्म तालाबी पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 29.08.2018 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 29.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट को न तो सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से संबंधित कोई दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नही है। अपीलान्ट द्वारा किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही है। इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.08.2018 में से 90 दिन का सिविल कारावास की सजा के दण्ड को निरस्त करने के आदेश फरमावे।

अति० जिला कलेक्टर
दौ

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट नें संवत 2075 में ग्राम कालाखो में स्थिति आराजी भूमि खसरा नं0. 28 रकबा 0.25 है0 मे से 0.10 है0 व खसरा नं. 29 रकबा 0.25 है0 मे से 0.10 है0 कुल 0.20 है0 किस्म तालाबी पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 29.08.2018 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 90 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत तालाबी भूमि पर से कब्जा हटा लिया जाने एवं भविष्य में किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जाना व्यक्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट नें संवत 2075 में ग्राम कालाखो में स्थिति आराजी भूमि खसरा नं0. 28 रकबा 0.25 है0 मे से 0.10 है0 व खसरा नं. 29 रकबा 0.25 है0 मे से 0.10 है0 कुल 0.20 है0 किस्म तालाबी पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा